/

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांकः एफ 14 (219) परि/भण्डार/2024-25/504 जयपुर, दिनाकः 21-1-2025

आदेश

परिवहन विभाग मुख्यालय पर समय-समय पर कय की जाने वाली सामग्री व विभिन्न प्रकार की सलाहकार सेवाओं को अनुबन्ध पर लिये जाने हेतु राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 3 के अनुसार जारी पूर्व आदेश क्रमांक एफ 14 (219) परि/भण्डार/2024-25/21991-दिनांक 27.08.2019 के अतिक्रमण में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम पार्ट -III के तहत प्रदत्त वित्तीय शक्तियों के अनुसार क्रय एवं अन्य कार्यवाही हेतु समितियों का गठन निम्नानुसार किया जाता हैः-

1. कार्यालयाध्यक्ष स्तर पर उपापन समिति

1. उप परिवहन आयुक्त (प्रशा.) — अध्यक्ष
2. व. लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (स्टोर) — सदस्य
3. जिला परिवहन अधिकारी (मु.) — सदस्य सचिव
4. स्टोर कीपर — सदस्य
5. तकनीकी सदस्य (जहां आवश्यक हो) — सदस्य

2. विभागाध्यक्ष स्तर परउपापन समिति

1. अपर परिवहन आयुक्त (प्रशा.) — अध्यक्ष
2. वित्तीय सलाहकार/उप वित्तीय सलाहकार — सदस्य
3. अति. परिवहन आयुक्त/संयुक्त परिवहन आयुक्त (संबंधित शाखा प्रभारी) — सदस्य सचिव
4. तकनीकी सदस्य (जहां आवश्यक हो) — सदस्य

3. मौका पर क्रय हेतु समिति (Spot Purchase Committee)

1. जिला परिवहन अधिकारी (मु.) — अध्यक्ष
2. लेखाधिकारी/स. लेखाधिकारी — सदस्य
3. स्टोर कीपर — सदस्य

4. निविदाएं खोलने की समिति

1. उप परिवहन आयुक्त (प्रशा.) — अध्यक्ष
2. संबंधित योजना/शाखा प्रभारी — सदस्य सचिव
3. लेखाधिकारी/स. लेखाधिकारी (स्टोर) — सदस्य
4. सहायक निदेशक (सांख्यिकी) — सदस्य

desktop/shoaib/orders/

समिति के सदस्य सचिव द्वारा निविदा प्रक्रिया सक्षम स्तर पर अनुमोदन उपरान्त प्रारम्भ की जाएगी उनके द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के अनुसार निविदा सूचना, निविदा फार्म, शर्तें इत्यादि दस्तावेज तैयार कर सक्षम स्तर से अनुमोदित कराये जाएगें तथा संविदा के अनुश्रवण कार्य के साथ समस्त दस्तावेजों को अपनी अभिरक्षा में रखा जाएगा। सदस्य सचिव द्वारा प्राप्त दरों का तुलनात्मक विवरण पत्र उपापन नियमों के तहत तैयार कराया जाकर सक्षम समिति में निर्णयार्थ रखा जाएगा एवं समिति की अनुशंषा उपरांत सक्षम प्राधिकारी से निविदा को अनुमोदित कराया जाएगा।

निविदा खोलने हेतु गठित समिति का कार्य प्राप्त निविदाओं को नियत समय पर उपस्थित निविदा दाताओं के सामने खोला जाकर सक्षम समिति के समक्ष निर्णय हेतु प्रस्तुत करना होगा।

(रेणु खण्डेवाल)
अपर परिवहन आयुक्त (प्रशा.)

क्रमांकः एफ 14 (219) परि/भण्डार/2024–25/21991 /505-511 जयपुर, दिनाकः 21-1-2025

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव, जयपुर।
2. निजी सचिव, अपर परिवहन आयुक्त (प्रशा.), मुख्यालय, जयपुर।
3. निजी सहायक, वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय, जयपुर।
4. निजी सहायक,उप वित्तीय सलाहकार , मुख्यालय, जयपुर।
5. समस्त अधिकारी, मुख्यालय, जयपुर।
6. संबंधित अधिकारी श्री..
7. सिस्टम एनालिस्ट (विभागीय पोर्टल पर प्रदर्शन हेतु)

अपर परिवहन आयुक्त (प्रशा.)

desktop/shoaib/orders/